17

उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ पर दिनांक 16-3-88 तथा 23-3-88 को हुई उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की वर्ष-1988 की प्रथम बैठक का कार्यवृत्त

निम्नलिखित उपस्थित थे:-

1- श्री शान मुकर्रम द्विवेदी		अध्यक्ष
2- श्री परमात्मा प्रसाद सिंह		सदस्य
3- श्री योगेश बंसल		सदस्य
4- श्रीमती उमा त्रिपाठी		सदस्या
5- श्री विष्णु स्वरूप	विशेष सचिव, आवास (आवास सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
6- श्रीमती नीरा यादव	निदेशक, सार्वजनिक उधम ब्यूरो सचिव, सार्वजनिक उधम ब्यूरो के प्रतिनिधि।	मुख्य आमंत्री
7- श्री जे0पी0भार्गव	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
8- श्री नागिन्दर सिंह	आवास आयुक्त	सदस्य
9- श्री राम आसरे प्रसाद	संयुक्त आवास आयुक्त	सचिव

बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त निम्न मदों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिये गये:-

क्रमांक	विषय	संकल्प सं0	निर्णय
1	2	3	4
1-	दिनांक 5-12-87 को हुई बैठक की	प्रथम/(1)/88	दिनांक 5-12-87 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
2-	परिषद की बैठक दिनांक 5-12-87 की अनुपालन आख्या।	प्रथम/(2)/88	परिषद व्दारा दिनांक 5-12-87 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के क्रियान्वियन से परिषद को अवगत कराया गया।
3-	वित्तीय वर्ष-1988-89 के लिये तीन माह के आय व्ययक के अनुमानों की स्वीकृति।	प्रथम/(3)/88	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से वित्तीय वर्ष-1988-89 के आय व्ययक के अनुमान रु0 32.50 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी।
4-	बैलेंसशीट का वार्षिक तथा परिषद मुख्यालय लेखों का त्रैमासिक आन्तरिक ऑडिट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से कराये जाने हेतु सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।	प्रथम/(4)/88	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त बैलेन्सशीट का वार्षिक तथा परिषद मुख्यालय लेखों का त्रैमासिक आन्तरिक ऑडिट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से कराये जाने हेतु सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
5-	उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद में विभिन्न एसोसियेशन्स और यूनियन्स आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(5)/88	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सामान्यत: सेवा संघों को भूमि आवंटन न किया जाये। विशेष परिस्थितियों में यदि सेवा संघों के व्दारा भूमि की मांग की जाती है तो उनके प्रकरण को संचालक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाय। उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद डिप्लोमा इन्जीनियर्स एसोसियेशन को निर्धारित दर पर नकद पर नियमानसार भूखण्ड आवंटित करने के लिये आवास आयुक्त को अधिकृत किया गया।

1	2	3	4
6-	मुख्यालय/डिवीजन खण्डों (नान वर्किग डिवीजन) में कार्यरत अभियन्ताओं/वास्तुविद् नियोजकों को विशेष भत्ता के स्थान पर विशेष वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(6)/88	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी तथा यह निर्देश दिये गये कि मुख्यालय/डिवीजन खण्डों (नान वर्किग डिवीजन) में कार्यरत अभियन्ताओं/वास्तुविद् नियोजकों को विशेष भत्ते के स्थान पर विशेष वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में उ०प्र०शासन एवं ब्यूरो को इसकी संस्तुति भेज दी जाय।
7-	डायमण्ड डेरी स्थित भवन सं० 37 को गेस्ट हाउस से मुक्त करने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(7)/88	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि आवास आयुक्त द्वारा उक्त भवन खाली होने पर इसे मात्र परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों को ही आवंटित किया जायेगा।
8-	निर्माण पूर्ण होने से पूर्व सम्पत्तियों के आवंटन के सम्बन्ध में।	प्रथम/(8)/88	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी कि अर्थ वर्क पूर्ण हो गया हो तथा सड़क की सोलिंग तथा पानी की व्यवस्था आदि हो गयी हो एवं निर्माण हेतु टेण्डर आमन्त्रित कर लिये गये हों।
9-	~~प्रस्त्र~~ पंजीकरण धनराशि में परिवर्तन के सम्बन्ध में।	प्रथम/(9)/88	यह प्रस्ताव स्थगित किया गया।
10-	दण्ड ब्याज माफी के सम्बन्ध में।	प्रथम/(10)/88	परिषद द्वारा अभी इस प्रस्ताव को स्थगित रखने का निर्णय लिया गया।
11-	उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद भूखण्डों तथा भवनों के पंजीकरण एवं प्रदेशन सम्बन्धी नियम (संशोधित जून-1986) के नियम 28 (1) में संशोधन। [illegible]	प्रथम/(11)/88	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार नकद पर सम्पत्ति आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गयी:- **श्रेणी** — **आरक्षित** — **सामान्य** 1-दु०आ०व०/सोइट एण्ड सर्विसेज — 20प्रतिशत — 30प्रतिशत 2-अ०आ०व० — 25प्रतिशत — 40प्रतिशत 3-म०आ०व० — 30प्रतिशत — 60प्रतिशत 4 -उ०आ०व० — 40प्रतिशत — 75प्रतिशत
12-	उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद भवनों/भूखण्डों के प्रदेशन सम्बन्धी विनियम-1979 (संशोधित जून-1986) के नियम-35 में संशोधन।	प्रथम/(12)/88	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। यह भी निर्देश दिये गये कि यह जानकारी प्राप्त कर ली जाये कि एक वर्ष में भवन परिवर्तन मामलों से परिषद को कुल कितनी आय हुई है।
13-	उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद भूखण्डों तथा भवनों के पंजीकरण एवं प्रदेशन सम्बन्धी विनियम-1987 (संशोधित विनियम-जून-1986) के नियम-28 (4) में संशोधन।	प्रथम/(13)/88	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी। परिषद ने यह भी जानकारी चाही कि वर्ष-87-88 में भुगतान विकल्प परिवर्तन के कुल कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये व कितनों में भुगतान विकल्प परिवर्तन की अनुमति दी गयी।

1	2	3	4
14-	स्वयं वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत आवंटियों को परिषद के कार्य पद्धति के कारण हो रही कठिनाइयों एवं किसी पूर्व प्रदिष्ट सम्पत्ति के विरुद्ध अवशेष धनराशि एक मुश्त जमा करने पर छूट दिये जाने एवं संकल्प सं0-चतुर्थ/(1)/87 द्वारा लिये गये निर्णय को निरस्त करने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(14)/88	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गयी।
15-	नीलामी द्वारा उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की सम्पत्ति के प्रबन्धन सम्बन्धी विनियम-1980 के प्रस्तर-5 (ज0) नीलामी हेतु आरक्षण में संशोधन	प्रथम/(15)/88	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि नीलामी द्वारा निस्तारित की जाने वाली सम्पत्तियों में विस्थापितों के लिये 2प्रतिशत का आरक्षण दिया जायेगा।
16-	स्वयं वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत आवंटन हो जाने पर जमा धनराशि के समायोजन के पश्चात् देय शेष धनराशि जमा करने हेतु समय दिये जाने एवं ब्याज लेने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(16)/88	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
17-	विनियम-25 एवं 39 में लीज रेट लिये जाने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(17)/88	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि:- 1- साइट एण्ड सर्विसेज व दुर्बल आय वर्ग के भूखण्डों को छोड़कर शेष भूखण्डों की लीज रेट 90 वर्ष के लिये जमा कराया जाये। 2- भवनों के मामलों में लीज रेट आवंटी की सुविधा के अनुसार जमा करा ली जाये।
18-	पंजीकरण में नाम परिवर्तन के सम्बन्ध में।	प्रथम/(18)/88	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
19-	भूखण्डों का आवंटन ले-आउट बनने के बाद किया जाना।	प्रथम/(19)/88	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया कि भूखण्डों के आवंटन में जो धनराशि प्राप्त होगी उसे किसी अन्य मद में नहीं लगाया जायेगा। आवंटन सड़क बन जाने, पानी की व्यवस्था हो जाने पर तथा प्लाटिंग कर दिये जाने पर किया जायेगा।
20-	परिषद की योजनाओं हेतु सीधी बातचीत द्वारा भूमि क्रय करने के लिए प्रारम्भिक प्रस्ताव के परीक्षण आदि के निमित्त समिति का गठन।	प्रथम/(20)/88	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव को इस शर्त के साथ पारित किया गया कि प्रस्तावित के क्रम सं0-5 के स्थान पर समिति मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक अथवा उनके प्रतिनिधि सदस्य होंगे तथा परिषद के एक सदस्य भी सदस्य के रूप में रहेंगे।
21-	रामपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-5 में 108-98 एकड़ भूमि अर्जित किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(21)/88	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

1	2	3	4
22-	परिषद कार्य अवधि में दुर्घटना ग्रस्त हो जाने पर अधिकारियों कर्मचारियों को विशेष अवकाश स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(22)/88	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह स्वीकृति प्रदान की गयी कि आवास आयुक्त को अधिकतम तीन माह तक की विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के लिए अधिकृत किया गया।
23-	परिषद की आवासीय योजनाओं में 33/11 के0वी0सब स्टेशन के निर्माण हेतु उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद को आवश्यक भूमि एवं अनुरक्षण स्टाफ हेतु आवासीय भवन के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।	प्रथम/(23)/88	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
24-	हडको वित्त पोषित भूमि अर्जन योजना मनकापुर, प्रहलादगढ़ी स्कीम सं0-3 गाजियाबाद (स्कीम नं0-56।।)	प्रथम/(24)/88	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
25-	पठानपुरा योजना सं0-2 सहारनपुर के लिये धारा-31(1) की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्रथम/(25)/88	परिषद द्वारा प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया गया।
26-	परिषद के समक्ष रु0 10 करोड़ की गारंटी दिये जाने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(26)/88	परिषद द्वारा प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया गया।
27-	परिषद की लखनऊ रायबरेली रोड पर तेलीबाग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1 लखनऊ में कुल 432.52 एकड़ तथा अनुमानित लागत रु0 1860.50	प्रथम/(27)/88	परिषद द्वारा प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया गया।
28-	पंजीकरण धनराशि के अन्तर की धन राशि को जमा करने हेतु अंतिम तिथि दिनांक 30-3-88 तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(28)/88	परिषद द्वारा प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया गया।
29-	पंजीकरण हेतु नगर एवं तिथि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(29)/88	परिषद द्वारा प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया गया।
30-	विभिन्न नगरों में बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु दुर्बल आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के भवनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्रथम/(30)/88	परिषद द्वारा प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया गया।
31-	परिषद के विभिन्न योजनाओं में स्वयं वित्त पोषित योजना एवं अन्य श्रेणी के भवनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्रथम/(31)/88	परिषद द्वारा प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया गया।
32-	विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बाह्य विद्युतीकरण के कार्यों हेतु निर्गत की गयी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को विस्तृत प्राक्कलन के आधार पर पुनरीक्षित करने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(32)/88	परिषद द्वारा प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया गया।
33-	नेहरूनगर योजना सं0-1 देहरादून के कब्जा प्राप्त भूमि पर विकास कार्य कराने हेतु पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्रथम/(33)/88	परिषद द्वारा प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया गया।
34-	विभिन्न योजनाओं में प्रस्तावित स्वयं वित्त पोषित तथा अन्य प्रकार के भवनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्रथम/(34)/88	परिषद द्वारा प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया गया।

1	2	3	4
35-	मझोला भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-4 के भूमि अर्जन हेतु हडको से ऋण प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(35)/88	परिषद द्वारा प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया गया।
36-	बैंकों से ओवर ड्राफ्ट लेने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(36)/88	परिषद द्वारा प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया गया।
37-	बैंकों से ओवर ड्राफ्ट लेने के संबंध में।	प्रथम/(37)/88	परिषद द्वारा प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया गया।
38-	बैंकों से ओवर ड्राफ्ट लेने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(38)/88	परिषद द्वारा प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया गया।
39-	परिषद के अभियन्ताओं के सेवा विनियमों में संशोधन।	प्रथम/(39)/88	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव में वर्तमान सेवा विनियम संशोधित प्रस्ताव के रेगुलेशन-13 के प्रथम पैरा को शमित करते हुए तथा स०अभि० सेवा विनियमावली-1973 में पार्ट-III रिक्रूमेंट 5-2(बी0) के संशोधित पैरा-3 को निकालते हुए स्वीकृति प्रदान की गयी। परन्तु इस सिलसिले में शासन के निर्देश प्राप्त कर लिए जायें।
40-	परिषद योजनाओं में दु0आ0व0 भवनों के भूमि मूल्य में छूट देने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(40)/88	परिषद की अगली बैठक हेतु स्थगित। यह भी निदेश दिये गये कि मुख्य अधिकारी एवं लेखाधिकारी अध्ययन करें बताये कि उ0आ0व0 तथा म0आ0व0 के भवनों पर इस निर्णय से क्या वित्तीय भार बढ़ेगा।
41-	हरिद्वार रोड पर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-7 ऋषिकेश (क्षेत्रफल 20 एकड़ अनुमोदित लागत 38.4 लाख) को पुनः बताये जाने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(41)/88	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
42-	राजपुर रोड यो0, देहरादून के अन्तर्गत डा0 अख्तर रिजवी को क्रय वि0पो0 भवन सं0-6 के विचाराधीन निर्णय के सम्बन्ध में।	प्रथम/(42)/88	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस समिति में आवास आयुक्त को भी सदस्य नामित किया जाये।
43-	किश्तों पर प्रदिष्ट सम्पत्ति के विरुद्ध पूर्ण भुगतान करने पर छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(43)/88	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि किश्तों पर प्रदिष्ट सम्पत्ति के विरुद्ध एक मुश्त पूर्ण भुगतान करने पर सामान्य सम्पत्तियों में बची हुई धनराशि का 3 प्रतिशत तथा भूखण्ड पर 2 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
44-	परिषद की माल एवेन्यू योजना में परिषद के गेस्ट हाउस के सम्बन्ध में।	प्रथम/(44)/88	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्व सम्मति से माल एवेन्यू योजना में आवास आयुक्त के लिये निर्माणाधीन भवन के अन्तर्गत एक अतिरिक्त कक्ष एक गैराज एवं एक नौकर आवास अलग से बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

1	2	3	4
45-	परिषद के विस्तृत कार्यक्षेत्र एवं बढ़े हुए कार्य कलापों विशेषकर निर्माण एवं विकास कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण एवं सुनियोजित कार्यान्वयन हेतु परिषद में दो क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) के पदों के सृजन एवं वर्तमान मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) के पद को मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) में उच्चीकरण के सम्बन्ध में।	प्रथम/(45)/88	परिषद की अगली बैठक हेतु स्थगित
46-	आवास परिषद की इन्दिरानगर विस्तार योजना लखनऊ में समाविष्ट अनुमनुगर सहकारी गृह निर्माण समिति की भूमि के बदले 40 प्रतिशत विकसित भूखण्ड देने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(46)/88	प्रस्तुत प्रकरण का परिषद द्वारा अवलोकन किया गया।
47-	ट्रांस हिन्डन क्षेत्र गाजियाबाद में विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की जाने वाली योजना सं0-3 गाजियाबाद की जलापूर्ति के सम्बन्ध में।	प्रथम/(47)/88	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
48-	केन्द्रीय भूमि एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान/अनुसंधान केन्द्र आगरा की ट्रांस यमुना योजना आगरा में 6.45 एकड़ भूमि के प्रदेशन के सम्बन्ध में।	प्रथम/(48)/88	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि केन्द्रीय भूमि जल संरक्षण अनुसंधान, आगरा को निःशुल्क अथवा मात्र अर्जन देकर भूमि देना संभव नहीं है। परिषद नियमों के अनुसार पुरानी दर पर यदि यह संस्था तीन माह में भुगतान करदे तो प्रस्तावित भूमि उन्हें दे दी जाय।
49-	परिषद में कार्य प्रभारित अधिष्ठान में कार्यरत बिजली मिस्त्री के वेतनमान में पुनरीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(49)/88	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी तथा कहा गया कि ब्यूरो/शासन को संस्तुति सहित पत्र भेजा जाये।
50-	सम्पत्ति प्रबन्धकों के पद पर प्रोन्नति हेतु सेवा विनियमों में संशोधन के सम्बन्ध में।	प्रथम/(50)/88	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्तावित संशोधन पर स्वीकृति प्रदान की गई। यह भी निर्देश दिये गये कि सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारियों की सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु क्या योग्यता रखी जाये, इसका प्रस्ताव परिषद की अगली बैठक में रखा जाये
51-	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।	प्रथम/(51)/88	1- यह निर्णय लिया गया कि परिषद की नीति विषयक संकल्पों को अनुभागवार शीघ्र संकलित कर लिया जाये। 2- माननीय अध्यक्ष महोदय ने कुछ अन्य बिन्दु प्रस्तुत किया जा सके। यह निर्णय हुआ कि पहले मा0 अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त इन पर विचार विमर्श कर निर्णय लें।

बैठक अध्यक्ष महोदय को आभार प्रकट करते हुये समाप्त की गयी।

पुष्टि की गयी
[signature]
अध्यक्ष